न्यायालय, राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ0 भास्कर बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 93/2024 G.C.M.S. No. 2024/372 दर्ज दिनांक : 10.09.2024

अपीलार्थिगण:

1. मांगीलाल पुत्र राजाराम, जाति सीरवी, उम्र 65 वर्ष, निवासी रानी कलां, ग्राम पंचायत रानी, तहसील रानी व जिला पाली।
2. मृत छोगाराम पुत्र राजाराम के विधिक वारिसानः–
   2/1 नारायण पुत्र स्व. छोगाराम, जाति सीरवी, उम्र 42 वर्ष, निवासी रानी कलां, ग्राम पंचायत रानी, तहसील रानी व जिला पाली।
   2/2 सारकी पत्नि स्व. छोगाराम, जाति सिरवी, उम्र 79 वर्ष, निवासी रानी कलां, ग्राम पंचायत रानी, तहसील रानी व जिला पाली।
3. स्व. डूंगाराम पुत्र स्व. छोगाराम के विधिक वारिसानः–
   3/1 पवनी स्व. डूंगाराम जाति सिरवी उम्र 45 वर्ष, निवासी रानी कलां, ग्राम पंचायत रानी, तहसील रानी व जिला पाली।
4. दरगाराम पुत्र राजाराम, जाति सीरवी उम्र 75 वर्ष, निवासी रानी कलां, ग्राम पंचायत रानी, तहसील रानी व जिला पाली।
5. मांगीबाई पत्नि गणेशाराम, जाति सीरवी, उम्र 56 वर्ष, निवासी रानी कलां, ग्राम पंचायत रानी, तहसील रानी व जिला पाली।
6. सुकी पत्नि नैनाराम, जाति सीरवी, उम्र 62 वर्ष, निवासी रानी कलां, ग्राम पंचायत रानी, तहसील रानी व जिला पाली।

बनाम

प्रत्यर्थिगण:

1. पूजा मीणा पत्नि यशपाल मीणा जाति मीणा उम्र बालिग, निवासी शीतला चौक, मैन बाजार, रानी खुर्द, नगरपालिका क्षेत्र रानी खुर्द, तहसील रानी व जिला पाली।
2. मदन पुत्र स्व. छोगाराम, जाति सीरवी उम्र 40 वर्ष, निवासी दीपाली पार्क, बदलापुर मुम्बई (महाराष्ट्र)
3. सुरेश पुत्र स्व. छोगाराम, जाति सीरवी उम्र 38 वर्ष, निवासी नासिक (महाराष्ट्र)
4. कमला पुत्री स्व. छोगाराम, जाति सीरवी, उम्र 53 वर्ष, निवासी वाशीतुरबे (महाराष्ट्र)
5. शांति पुत्री स्व. छोगाराम, जाति सीरवी उम्र 56 वर्ष, निवासी रानी कला, तहसील रानी व जिला पाली।
6. श्रवण पुत्र स्व. डूंगाराम, जाति सिरवी, उम्र 22 वर्ष, निवासी रानी कला, तहसील रानी व जिला पाली।

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध उपखंड अधिकारी रानी द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 56/2022 बअनवान पूजा मीणा बनाम मांगीलाल वगैरह में पारित आदेश दिनांक 28.08.2024

पैरोकार–

1. श्री अशोक अरोड़ा, श्री तरूण उपाध्याय, विद्वान अभिभाषक अपीलांट।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

2. श्री सुमेरसिंह राजपुरोहित, विद्वान अभिभाषक रेस्पोंडेन्ट।

निर्णय

दिनांक: 31.12.2025

अपीलान्ट की ओर से जरिये अधिवक्ता यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत उपखंड अधिकारी रानी द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 56/2022 बजनवान पूजा मीणा बनाम मांगीलाल वगैरह में पारित आदेश दिनांक 28.08.2024 के विरूद्ध पेश की गई। प्रकरण संक्षेप में निम्नानुसार है–

यह कि रेस्पोंडेन्ट संख्या 01 ने अपीलांटगण के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत कर स्वयं की खातेदारी भूमि उपखंड रानी गांव रानी खुर्द, पटवार हल्का रानी खुर्द, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र रानी खुर्द, तहसील रानी जिला पाली में खसरा नंबर 394 रकबा 0.7900 हैक्टेयर किस्म चाही सोयम में आवागमन हेतु अपीलांटगण की खातेदारी भूमि खसरा नंबर 388/3 रकबा 0.2511 हैक्टेयर एवं खसरा नंबर 393 रकबा 1.4900 हैक्टेयर किस्म बारानी अव्वल में से रास्ता प्रदान कराने बाबत अनुतोष चाहा, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश पारित किया गया है। जो कि विधिसम्मत नहीं हैं। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष मूल प्रार्थना पत्र मांगीलाल, छोगाराम, दरगाराम, मांगीबाई एवं सुकी के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया एवं प्रार्थना विचाराधीन रहने के दौरान छोगाराम की मृत्यु होना बताकर छोगाराम के कायम मुकाम को रेकर्ड पर लिये जाने हेतु प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 04 सी०पी०सी० के तहत प्रस्तुत किया गया, जो कि म्याद बाहर यानि 90 दिवस पश्चात प्रस्तुत किया गया। ऐसी स्थिति में प्रकरण में स्वतः ही उपशमन हो जाता है एवं जब तक उस उपशमन को अपास्त नहीं करवाया जाता है तब तक उस पक्षकार के विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती हैं। ऐसी स्थिति मे छोगाराम के विरूद्ध प्रकरण का उपशमन हो चुका था, जिसकी अपास्ती हेतु कोई कार्यवाही नहीं की गई। इसके बावजूद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा छोगाराम के विधिक वारिसान के विरूद्ध जैर अपील आदेश पारित किया गया। इसके अतिरिक्त अपीलांटगण के नोटिस विधिवत रूप से तामिल नहीं करवाये गये एवं अपीलांटगण की ओर से अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 69 राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम का निस्तारण भी नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त रेस्पोडेन्ट संख्या की खातेदारी भूमि में आवागमन हेतु मंदिर श्री महादेव जी की भूमि खसरा नंबर 387 की माठ के सहारे–सहारे वैकल्पिक मार्ग पीढ़ियों से चला आ रहा है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण के नोटिस विधिवत तामिल करवाये

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

बिना रेस्पोंडेन्ट संख्या 01 की खातेदारी भूमि में वैकल्पिक रास्ता मौजूद होने के बावजूद जैर अपील आदेश पारित किया गया है। अपीलांटगण का खातेदारी भूमि खसरा नंबर 393 का कुल रकबा 1.4900 हैक्टेयर मात्र है एवं इतने छोटे क्षेत्रफल की भूमि में से रास्ता प्रदान किये जाने के पश्चात अपीलांटगण के पास कृषि कार्य हेतु भूमि नहीं बचेगी। जैर अपील आदेश की आड में रेस्पोंडेन्ट संख्या 01 अपीलांटगण की खातेदारी भूमि से रास्ता निकालने पर आमादा है, अगर वह ऐसा करने में कामयाब हो गये तो इससे अपीलांट को अपूर्णनीय क्षति होगी, जिसका मूल्याकंन रूपयों में कदापि नहीं हो पाएगा। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर जैर अपील आदेश अपास्त फरमावें।

अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट्स व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया।

प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई। हमनें बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण का विस्तृत विवेचन व निर्णयन निम्नानुसार है–

1. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थिया रेस्पोंडेंट संख्या 1 द्वारा अपीलांट व दीगर रेस्पोंडेंट्स के विरूद्ध ग्राम रानी खुर्द तहसील रानी में स्थित अपनी आराजी खसरा संख्या 394 तक पहुंच हेतु पहुंच मार्ग के लिए प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251–क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत किया। जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 28.08.2024 द्वारा स्वीकार किया गया। जिसके विरूद्ध अपीलांट्स द्वारा हस्तगत अपील अंदर म्याद प्रस्तुत की गई।
2. अपीलाधीन निर्णय व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पक्षकारान को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करते हुए प्रकरण निर्णित किया है। पत्रावली पर उपलब्ध भू.अ.नि. रानी की मौका फर्द दिनांक 18.08.2022 के अवलोकन से स्पष्ट है कि भू.अ.नि द्वारा मौका रिपोर्ट तैयार करने से पूर्व संबंधित पक्षकारान को तहसील कार्यालय से विधिवत नोटिस प्रेषित कर सूचित किया गया। मौका रिपोर्ट के अवलोकन से स्पष्ट है कि मौका रिपोर्ट पर प्रार्थिया सहित अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के हस्ताक्षर है। मौका रिपोर्ट व भू–नक्शा के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थिया की आराजी तक पहुंच हेतु कोई पहुंच मार्ग उपलब्ध नहीं हैं। अतः रास्ते की मांग महज सुविधा के लिए नहीं होकर आत्यंतिक आवश्यकता पर आधारित है। प्रार्थिया की आराजी खसरा संख्या 394 व निकटतम रास्ता खसरा संख्या 126/665 गैर मुमकिन रास्ता के मध्य खसरा संख्या 393 व 388/3 की आराजी स्थित है। भू.अ.नि द्वारा गैर मुमकिन रास्ता खसरा संख्या 126/665 से खसरा संख्या 388/3 व खसरा संख्या 393

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

की दक्षिण सीमा के सहारे खसरा संख्या 394 की सीमा तक रास्ता प्रस्तावित किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इसी अनुरूप रास्ता अपीलाधीन आदेश द्वारा स्वीकृत किया गया। जिसमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं हैं।

3. अपीलांट द्वारा यह उज्र लिया गया कि खसरा संख्या 387 की माठ के सहारे पीढ़ियों से रास्ता चल रहा था। जिस बाबत पुजारी द्वारा विवाद किया जाने पर सिविल न्यायालय रानी में सुखाधिकार बाबत वाद प्रस्तुत किया गया। जो विचाराधीन है, के संबंध में हमारे विनम्र मत में अपीलांट द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे स्पष्ट हों कि प्रार्थिया की आराजी तक पहुंच के लिए पूर्व से रास्ता उपलब्ध हों एवं न ही भू.अ.नि की जांच रिपोर्ट से उक्त उज्र की पुष्टि होती हैं। अतः उक्त उज्र स्वीकार योग्य नहीं हैं। अपीलांट द्वारा यह भी उज्र लिया गया कि उसके द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में आपत्ति धारा 69 राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। जिसका अलग से निस्तारण नहीं कर कानूनी भूल की हैं, के संबंध में हमारे विनम्र मत में धारा 251–क का प्रार्थना पत्र वस्तुतः राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम 1955 के नियम 69 से ही संबंधित होता है तथा ऐसे प्रकरणों में केवल रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता तथा निकटतम दूरी व न्यूनतम रकबे का परीक्षण अपेक्षित होता है तथा हस्तगत प्रकरण में उक्त बिंदुओं का विधिवत परीक्षण कर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। अतः उक्त उज्र भी स्वीकार योग्य नहीं हैं एवं अपीलांट द्वारा प्रस्तुत दीगर उजरात भी सारहीन होने से स्वीकार योग्य नहीं हैं।

4. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर हमारा यह विनम्र मत है कि अपील अपीलांट बखूबी साबित नहीं होने व सारहीन होने से खारिज किया जाना व अपीलाधीन आदेश की पुष्टि किया जाना पूर्णतया विधिसम्मत व उचित होगा।

आदेश

अतः निष्कर्षतः अपील अपीलांट अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बखूबी साबित नहीं होने व सारहीन होने से खारिज/अस्वीकार की जाती हैं तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखंड अधिकारी रानी द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 56/2022 बअनवान पूजा मीणा बनाम मांगीलाल वगैरह में पारित आदेश दिनांक 28.08.2024 की पुष्टि की जाती हैं। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जावें। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित की जाकर बाद तकमील संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक **31.12.2025** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सर–ए–इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 भास्कर बिश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

Scanned with OKEN Scanner